[1][**प्ररूप सं. 34घक**

[नियम 44ङ देखें]

आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 245थ (1) के अधीन अग्रिम विनिर्णय प्राप्त करने के लिए ऐसे संव्यवहार के संबंध में जो किया गया है या जिसका किया जाना प्रस्थापित है, निवासी आवेदक द्वारा आवेदन का प्ररूप

(कृपया, इस प्ररूप को भरने से पहले सावधानीपूर्वक टिप्पणियों को पढ़ें)

अग्रिम विनिर्णय बोर्ड के समक्ष

1. आवेदक का पूरा नाम और पता	
2. टेलीफोन, फैक्स नं. और ई-मेल पता	
3. प्रास्थिति	
4. आवेदक पर अधिकारिता रखने वाला आयुक्त और निर्धारण अधिकारी	
5. स्थायी खाता संख्या या आधार संख्या(यदि लागू हो)	
6. ऐसे व्यक्ति का नाम, पता, टेलीफोन या फैक्स सं. और ई-मेल पता जिसके साथ संव्यवहार किया गया है या किया जाना प्रस्थापित है	
7. ऐसे संव्यवहार जो किए गए हैं या किए जाने प्रस्थापित हैं, से संबंधित विधि या तथ्य से संबंधित प्रश्न, जिनके संबंध में अग्रिम विनिर्णय अपेक्षित है ।	
8. क्या मद सं. 7 में निर्दिष्ट संव्यवहार किसी राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय महत्व की घटना के संबंध में है ?	हां/नहीं
9. यदि हां, घटना का नाम	
10. मद सं. 7 में निर्दिष्ट प्रश्न (प्रश्नों) से संबद्ध सुसंगत तथ्यों का विवरण	
11. उपरोक्त प्रश्न (प्रश्नों) की बाबत आवेदक का यथास्थिति, विधि या तथ्यों के निर्वचन को अंतर्विष्ट करने वाला विवरण	
12. क्या उठाए गए प्रश्नों पर न्यायालय के ऐसे विनिश्चय हैं जिन पर अग्रिम विनिर्णय अपेक्षित है ? यदि हां, तो ऐसे सुसंगत विनिश्चयों की सूची दें ।	
13 संलग्न दस्तावेजों या विवरणों की सूची	
14 आवेदन के साथ संलग्न, फीस जैसे संव्यवहार संदर्भ सं./चालान पहचान सं./संदाय पहचान सं. आदि, के संदाय के ब्यौरे	

.....

हस्ताक्षरित

*(*आवेदक*)*

सत्यापन

मैं, ... पुत्र/पुत्री/पत्नी [पूरा और बड़े अक्षरों में नाम] सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त और उपाबद्ध (उपाबंधों), जिसके अंतर्गत ऐसे उपाबंध(उपाबंधों) से संलग्न दस्तावेज भी हैं, के विवरण मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण है । मैं यह और घोषणा करता हूँ कि मैं ..... (पदनाम) की हैसियत में यह आवेदन कर रहा हूं और मैं यह आवेदन करने के लिए सक्षम हूँ और इसका सत्यापन करता हूँ मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि ऐसा प्रश्न (प्रश्नों) जिस पर अग्रिम विनिर्णय वांछित है, मेरे मामले में किसी आय-कर प्राधिकारी, अपीली अधिकरण या किसी न्यायालय के समक्ष लंबित नहीं है/हैं।
आज तारीख.....को सत्यापित किया गया है ।

_____

हस्ताक्षरित

(आवेदक)

स्थान.....

---

1. आय–कर (नौवाँ संशोधन) नियम, 2023 द्वारा **12.6.2023** से प्रतिस्थापित।

टिप्पण:

1. आवेदन अंग्रेजी या हिंदी में भरा जाएगा ।

2. आवेदन के साथ नई दिल्ली में संदेय अग्रिम विनिर्णय बोर्ड के पक्ष में आयकर नियम, 1962 के नियम 44ङ. के उप नियम (4) के अनुसार लागू फीस के भुगतान का सबूत संलग्न हो। भुगतान के ब्यौरे मद सं. 14 के प्रत्युत्तर में दिए जाएंगे ।

3. मद संख्या 3 के प्रत्युत्तर में आवेदक यह कथन करेगा कि वह या तो व्यष्टि, अविभक्त हिंदू कुटुंब, फर्म, व्यक्तियों का संगम या कंपनी है।

4. मद सं. 7 के संबंध में, प्रश्न, वास्तविक या प्रस्थापित संव्यवहारों पर आधारित होना चाहिए (होने चाहिएं) । परिकल्पित प्रश्नों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा।

5. मद सं. 10 के संबंध में, उपाबंध 1 में आवेदक सुसंगत तथ्यों को ब्यौरेवार बताए और अपने कारबार या वृत्ति की प्रकृति और प्रस्थापित संव्यवहारों की संभावित तारीख और प्रयोजन को भी प्रकट करे। आवेदन के साथ प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों में प्रदर्शित सुसंगत तथ्यों को, तथ्यों के विवरण में सम्मिलित किया गया हो, न कि मात्र निर्देश द्वारा समाविष्ट किए गए हो।

6. मद सं. 11 के लिए, उपाबंध 2 में, आवेदक उस प्रश्न (उन प्रश्नों) की बाबत, जिस (जिन) के संबंध में अग्रिम विनिर्णय चाहा गया है, विधि या तथ्यों के अपने निर्वचन का स्पष्टरूप से उल्लेख करेगा ।

7. आवेदन, उससे उपाबद्ध सत्यापन, आवेदन के लिए उपाबंधों और उपाबंधों के साथ दिए जाने वाले निम्नलिखित विवरणों और दस्तावेजों,-

(क) व्यष्टि की दशा में,-

(I) हस्ताक्षर या डिजिटल रूप से,-

(i) व्यष्टि के स्वयं के द्वारा; और

(ii) जहां किसी अपरिहार्य कारण से किसी व्यष्टि के लिए आवेदन पर हस्ताक्षर करना संभव नहीं है, तो इस संबंध में उसके द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा; या

परंतु उपखंड (ii) में निर्दिष्ट दशा में, आवेदन पर हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति ऐसा करने के लिए व्यष्टिक से विधिमान्य मुख्तारनामा धारित करेगा, जो आवेदन से संलग्न होगा; और

(II) उसके रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पते के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा;

(ख) अविभक्त हिंदू कुटुंब की दशा में,–

(I) हस्ताक्षर या डिजिटल रूप से,-

(i) कर्ता के स्वयं के द्वारा; और

(ii) जहां किसी अपरिहार्य कारण से किसी कर्ता के लिए आवेदन पर हस्ताक्षर करना संभव नहीं है, ऐसे कुटुंब के किसी अन्य व्यस्क सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा; और

(II) उसके रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पते के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा;

(ग) कंपनी की दशा में,–

(I) हस्ताक्षर या डिजिटल रूप से,-

(i) उसके प्रबंध निदेशक द्वारा या जहां किसी अपरिहार्य कारण से ऐसा प्रबंध निदेशक आवेदन पर हस्ताक्षर करने और सत्यापन करने में समर्थ नहीं है या उसका कोई प्रबंध निदेशक नहीं है, वहां उसके किसी निदेशक द्वारा; या

(ii) जहां किसी अपरिहार्य कारण से किसी प्रबंध निदेशक या निदेशक के लिए आवेदन पर हस्ताक्षर करना संभव नहीं है, वहां इस संबंध में कंपनी द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा, हस्ताक्षरित किया जाएगा:

परंतु उपखंड (ii) में निर्दिष्ट दशा में आवेदन पर हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति ऐसा करने के लिए कंपनी से विधिमान्य मुख्तारनामा धारित करेगा, जो आवेदन से संलग्न होगा; और

(II) उसके रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पते के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा;

(घ) फर्म की दशा में,–

(I) हस्ताक्षर या डिजिटल रूप से,-

(i) प्रबंध भागीदार के स्वयं के द्वारा; या

(ii) उसके प्रबंध भागीदार द्वारा या जहां किसी अपरिहार्य कारण से ऐसा प्रबंध भागीदार आवेदन पर हस्ताक्षर करने और सत्यापन करने में समर्थ नहीं है या उसका कोई प्रबंध भागीदार नहीं है, वहां उसके किसी भागीदार द्वारा, जो अवयस्क न हो, हस्ताक्षरित किया जाएगा; और

(II) उसके रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पते के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा;

(ङ) व्यक्तियों के संगम की दशा में,-

(I) संगम के किसी सदस्य द्वारा या उसके प्रधान अधिकारी द्वारा से हस्ताक्षरित या डिजिटल रुप से हस्ताक्षरित है; और

(II) उसके रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पते के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा;

(च) किसी अन्य व्यक्ति की दशा में,-

(I) उस व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से कार्य करने के लिए सक्षम किन्हीं व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित या डिजिटल रुप से हस्ताक्षरित किया जाएगा; और

(II) उसके रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पते के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा;

उपाबंध 1

उन सुसंगत तथ्यों का विवरण जिनका उस प्रश्न (प्रश्नों) से संबंध है, जिन पर अग्रिम विनिर्णय अपेक्षित है

.....

.....

.....

(आवेदक)

स्थान.....

तारीख.....

उपाबंध 2

प्रश्न (प्रश्नों), जिन पर अग्रिम विनिर्णय अपेक्षित है, की बाबत आवेदक के यथास्थिति, विधि या तथ्यों के निर्वचन को अंतर्विष्ट करते हुए कथन

.....

.....

.....

हस्ताक्षर

(आवेदक)

स्थान .....

तारीख .....